न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर ग्रामीण राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 112/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/191

प्रार्थीगण :–
1. कोजाराम पुत्र रामूराम
2. चैनाराम पुत्र भीयाराम
3. बाबूराम पुत्र भींयाराम
4. भागाराम पुत्र भींयाराम
5. रामकरण पुत्र चौथाराम
6. महेन्द्रकुमार पुत्र चौथाराम
7. कोमल पुत्री चौथाराम
8. छगुड़ी पत्नि चौथाराम

सभी जातियान जाट निवासीयान रामड़ावास खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
1. गणपतराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी रामड़ावासखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. राजस्थान जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एलआर एक्ट

दर्ज तारीख :–19.06.2023

उपस्थित :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री मधुसुदन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 10.07.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम रामड़ावास खुर्द की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 307, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4 आयी हुई है जो पहले मूल खसरा नम्बर 307 के रूप में विद्यमान थी। प्रार्थीगण ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया जिससे मूल खसरा नम्बर 307 के उक्त खसरान बट्टा नम्बर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 307 मूल खसरा नम्बर के पूरब तरफ खसरा नम्बर 306 प्रतिवादी सं. एक की खातेदारी भूमि है अप्रार्थी सं. एक ने प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन के पूरब भाग को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला दिया इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. एक से समझाईस की लेकिन अप्रार्थी सं. एक मान नही रहा हैं तथा आपसे वाद विवाद हो गया इस पर प्रार्थीगण ने अपनी अपनी जमीन का नाप चौप कर सीमाकंन करवाने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी सं. एक ने माप चौप करवाने से इन्कार कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी मूल खसरा नम्बर 307 का नाप चौप कर सीमाकंन करवाया लेकिन अप्रार्थी सं. एक मान नही रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 307, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4 जो मूल खसरा नम्बर 307 है का नाप चौप

10/7
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिससे मौके पर किसी प्रकार से कोई झगड़ा फसाद नही हों। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का नाप चौप कर सीमांकन करवाना चाहते है तथा पूरब सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन की पुरब सीमा कायम हो सके तथा झगड़ा फसाद नही हो जिसके लिए प्रार्थीगण पत्थर/मुटाम उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण अपनी मूल खसरानम्बर 307 का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पूरब माठ पर पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रामड़ावासखुर्द की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 307, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4 जो मूल खसरानम्बर 307 के रूप में रहा जिसका नाप चौप करवाया जाकर सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मधुसुदन चौधरी ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 307 के रकबा का कोई उल्लेख नही किया तथा न बट्टा नम्बरान का कोई उल्लेख किया क्योकि रामड़ावास खुर्द की सीमा में खसरा नम्बर 302 व 306 अप्रार्थी सं. एक के नाम खातेदारी दर्ज है तथा खसरानम्बर 307 की 17 बिस्वा जमीन पर अप्रार्थी सं. एक के बड़े पिता गुरूदयालसिंह व जोगाराम काबिज थे तथा अप्रार्थी के पिता व गुरूदयालसिंह ने आज से करीब 50 वर्षो पूर्व वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 307 के 17 बिस्वा में एक पानी का बहुत ही बड़ा टांका निर्माण करवाया जिस पर पट्टिका लगायी जिस पट्टिका पर अप्रार्थी के बड़े पिता गुरूदयाल सिंह का नाम हैं। इस प्रकार खसरानम्बर 307 की 17 बिस्वा जमीन प्रार्थी के पिता व बड़े पिता गुरूदयालसिंह ने अप्रार्थी के बंट हिस्सा में रख दी थी उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 307 के 17 बिस्वा जमीन के आस पास अप्रार्थी सं. एक की खातेदारी भूमि आयी हुई है इस प्रकार अप्रार्थी खसरा नम्बर 307 के 17 बिस्वा जमीन के आस पास अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आयी हुई हैं। खसरा नम्बर 307 की 17 बिस्वा जमीन पर अप्रार्थी पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से यानि अपने पिता जोगाराम के साथ साथ काबिज होकर पानी का टांका व पास ही कृषि हेतु व बलीता वगैराह डालने हेतु इस जमीन का अप्रार्थी उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। अतः प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया है क्योकि खसरा नम्बर 307 के 17 बिस्वा जमीन पर अप्रार्थी सं. एक का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। जिसमें एक पानी का टांका अप्रार्थी सं. एक का बना हुआ है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या रूप से पेश किया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा

10/7

उप-खण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

हर्जा सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर से जवाब प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणो के मध्य सीमा का विवाद है प्रार्थीगण को पूर्व में दिनांक 22.05.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण को उपरोक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का आदेश पारित किया जाता है तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी, वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रामड़ावास खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 307, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4 जो मूल खसरा नम्बर 307 के रूप में रहा है जिसका नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रामड़ावास खुर्द के खसरा नम्बर 307, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4 जो मूल खसरा नम्बर 307 के रूप में रहा है जिसका टीम गठित कर नापचौप कर पत्थरगढ़ी करावे एवं फर्द मौका को निर्णय का अंग समझा जावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर